

२१/०६/२०१८ लोलावा

प्रपत्र:-८

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प:- अटल सेवा केन्द्र, लोलावा)

प्रकरण सं.:- 138/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1785

दिनांक:- 21/06/2018

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी गोलिया जीवराज व भूअ.नि. सड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम औरंगाबाद तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 51 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि खैरा पुत्र हमीरा के स्थान पर खैरदीन पुत्र हमीरा दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 21/06/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1786-88
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, किं आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री खैरदीन पुत्र हमीरा निवासी औरंगाबाद तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी